कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड–द्वितीय
मध्यॉंचल विद्युत वितरण निगम लि0
रायबरेली

पत्रांकः 4043 / वि0वि0खं0द्वि0रा0 / टी0सी0 / जमा यो0 / दिनांकः 24/4/2023

विषयः कनेक्शन हेतु सुझाव एवं शर्ते। **आवेदन सं0 1008297151**

उपभोक्ता **श्री रामकिशुन मौर्य पुत्र महावीर** निवासी / **संयोजन स्थल–ग्राम व पो0 बेला भेला उत्तरपारा ब्लाक–राही, रायबरेली।**

इस कार्यालय के आदेश संख्या .... वि0वि0खं0द्वि0रा0 / **C-I B** दिनांक .... द्वारा आपको **5 HP** विद्युत भार स्वीकृति **LMV-5** विधाओं हेतु जमा योजना में दी गई। उसी क्रम में आपसे अनुरोध है कि निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति इस पत्र के प्रसारित होने की तिथि से 30 दिनों के अन्दर करने की कृपा करें। ताकि कनेक्शन देने की अग्रिम कार्यवाही की जा सके। यदि आप द्वारा वांछित शर्तों की पूर्ति निर्दिष्ट अवधि के अन्दर नहीं की जाती तो आपको उपरोक्त पत्र द्वारा दी गई विद्युत भार का स्वीकृत निरस्त कर दी जायेगी।

1. आपको निम्नलिखित धन का भुगतान आनलाइन करना होगाः–

(क)	जमानत की राशि	रू0	1500.00	अश्व शक्ति (प्रकाश एवं पंखे के भार सहित)
(ख)	फिक्सड चार्जेज राशि	रू0	2036.00	
(ग)	सर्विस लाइन चार्ज की राशि	रू0	165553.00	
(घ)	प्रकमण शुल्क	रू0	00.00	
(ड.)	मीटर कास्ट की राशि	रू0	2921.00	
(च)	लेबर सेस 1 प्रतिशत	रू0	1656.00	
	कुल योग	रू0	**173666.00**	

2. आपको 500.00 रू0 का नगद भुगतान राजकीय कोषागार / स्टेट बैंक शाखा में निरीक्षण शुल्क के रूप में करना होगा। धनराशि जमा करने के पूर्णरूप से भरे हुए ट्रेजरी चालान (तीन प्रतियों में) पर इस कार्यालय द्वारा अनुबन्ध लिपिक से आदेश प्राप्त करना होगा।
3. आपको अपने संस्थान पर वांछित क्षमता का कैपिसटर लगाना होगा, अन्यथा आपके बिलों पर अधिभार लगाया जायेगा।
4. आपको अनुबन्ध के समय स्थाई निवास, उम्र एवं विधाओं के चलाने हेतु शासन से प्रदत्त अनुज्ञापत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करना होगा।
5. आपको मा0वि0वि0नि0लि0 के साथ 110.00 रू0 के नाम जुडीशियल स्टाप पेपर, जिस **110.00** का रसीदी टिकट लगा हो, दो गवाहो सहित अनुबन्ध करना होगा। साथ में पासपोर्ट आकार के प्रमाणित फोटो की प्रति लाना, होगा, अनुबन्ध करने समय भुगतान की गयी राशि की मूल रसीदें प्रस्तुत करना होगा।
6. अनुबन्ध करने की तिथि से 90 दिनों के अन्दर, अविष्ठान की वायरिंग आदि किसी मान्यता प्राप्त ठेकेदार से कराकर, कार्य पूरक प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। बी0एण्ड एल0 फार्म के साथ खरीदी गयी मीटर तथा कैपिसिटर की क्रय रसीद प्रस्तुत करना होगा।
7. विद्युत खपत की बिलिंग **LMV-5** / निजी नलकूप / औद्योगिक / वाणिज्यिक / HV-2 श्रेणी के अन्तर्गत की जायेगी।
8. उपरोक्त स्वीकृति के अन्दर दिये गये कनेक्शन के अन्तर्गत केवल **LMV-5** विधाओं ही प्रयोग किया जा सकेगा। स्वीकृति के अतिरिक्त किसी अन्य विधा के प्रयोग पर कनेक्शन काट दिया जायेगा।
9. लाइन के निर्माण में आने वाले किसी भी प्रकार के व्यवधान / राइट आफ वे (ROW) का निराकरण उपभोक्ता द्वारा ही कराया जायेगा, अन्यथा लाइन निर्माण किया जाना सम्भव नहीं होगा, जिसके लिए उपभोक्ता स्वयं उत्तरदायी होगा।
10. जिला अग्नि शमन अधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
11. औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ताओं को उद्योग केन्द्र से पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
12. अनुबन्ध करने भुगतान करने एवं कार्यपूरक प्रमाण पत्र जमा करने का समय कार्य दिवस के 11 से 13 बजे के मध्य होगा।

अधिशाषी अभियन्ता
दिनांकः

पत्रांकः / वि0वि0खं0द्वि0रा0 / पी0एफ0 ( ) तद्

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–
उपखण्ड अधिकारी, विद्युत वितरण उपखण्ड– त्रिपुला, रायबरेली।

अधिशाषी अभियन्ता